उत्पाद शुल्क के रूप में वसूल की गई साशि 47782 करोड़ रुपये थी। यह राशि वर्ष 1996-97 के दौरान वसूल की गी 44918 करोड़ रुपये की राशि से अधिक थी।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसी कोई सूचना नहीं है कि बहुत बड़ी संख्या में कारखाने बंद होने के कगार पर हैं।

Rulrs/Rcgulations Regarding Promotion of Re-Empioyccs Ex-Servicemen in GIC

3732. SHRI SURYABHAN PAUL VAHADANE: Will the Minister of FINANCE be pleassed to state:

(a) whether DOP&T OM. No. 140231/ 90 Estt. (D) dated 21st May, 1991 as applicable to GIC and its subsidiaries in respect of promotion to the cadre of re-employed ex-servicemen;

(b) if not, the reasons therefor;

(c) whether GIC or its subsidiaries have framed any rules egulations for giving weightage to past defence service rendered by them for promottion to Group C and D as applicable to ex-servicemen re-employed in banks;

(d) if not, the reasons therefor;

(e) whether ex-servicemen in possession of Graduation Certificate under relevant rules of DOP&T re-employed in GIC and its subsidiaries are absorbed as Graduates and paid Graduation allowance; and

(f) if so, number of such persons?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HNANCE (SHRI R. JANARTHANAN): (a) No, Sir.

(b) Office Memoranda issued by the Department of Personnel and Training are not ipso-facto applicable to public undertakings. However, Ministry of Finance has issued separate instructions covering various aspects of re-employed ex-servicemen in insurance industry.

(c) No, Sir.

(d) The GIC have reported that the proposal was examined and it was observed that such weightage would have disturbed the seniority of existing employees and was fraught with avoidable litigation and industrial unrest amongst the employees other than ex-servicemen.

(e) No. Sir.

(f) Does not arise.

घोटालों में शामिल पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

3733. **श्री राम गोपाल यागव**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न घोटालों शामिल पंजाब नेशनल बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, और वे बैंक में अभी भी महत्वपूर्ण पदों पर बने हुए हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि बार-बार मांग करने के बावजूद भी घोटालों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो से कोई जांच नहीं करायी जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा उक्त मामले के संदर्भ में सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. जनार्दनन): (क) से (ग) पंजाब नेशनल बैंक ने सूचित किया है कि जब कभी गंभीर चूकों का पता चलता है तो बैंक के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। बैंक के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। बैंक के अनुसार धोखाधड़ी के सभी मामलों को जहां आवश्यक समझा गया, केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पास भेज दिया गया है और जहां कहीं आवश्यक हुआ है, अनियमितताओं में शामिल अधिकारियों को संवेदनशील पदों से स्थानांतरित भी कर दिया गया है। सीबिआई ने सूचित किया है कि वर्ष 1995, 1996, 1997 और 1998 (30-4-1998 तक) के दौरान सीबीआई ने लंजाब नेशनल बैंक में हुई विभिन्न अनियमितताओं में शामिल वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध 34 मामले दर्ज किए हैं। इन मामलों में से 8 मामलों में अब तक न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं और तीन मामलों में नियमित विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई है।

IMF Suggestion for full Convertibility of Rupee

3734. SHRI ASHOK MITRA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the International Monetary Fund has formally suggested to

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): (a) to (c) The level of market borrowings by the State during 1998-99 is yet to be decided.

क्षेत्रीय ग्रामिण बैंकों की समीक्षा

3738. **श्री मनोहर कान्त ध्यानीः** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समीक्षा की है,

(ख) क्या यह सच है कि पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में या पर्वतीय क्षेत्रों में ऋण जमा अनुपात 85:15 है,

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया है, और

(घ) ऋण का अनुपात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है, अगर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. जनार्दनन): (क) सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के क्रियाकलापों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, उनके परिचालनों की राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियमित समीक्षा की जाती है।

(ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा दी गई सूचनानुसार, दिनांक 31-3-97 की स्थिति के अनुसार, पिछड़े एवं पर्वतीय जिलों में परिचालन कर रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का ऋण जमा अनुपात 48 प्रतिशत है। जबकि देश के पिछड़े एवं पर्वतीय क्षेत्रों में परिचालन कर रहे कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से सम्बन्धित ऋण जमा अनुपात के कम होने की जानकारी दी गई है, लेकिन यह कहना सही नहीं है कि उनका ऋण जमा अनुपात 85:15 है। यह जिक्र किया जा सकता है कि देश के पूर्वेत्तर क्षेत्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का ऋण जमा अनुपात लगभग 45 प्रतिशत है।

(ग) भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करने सहित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्गठित करने के कई वैकल्पिक माडलों पर विचार करने के पश्चात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को स्वयं सक्षमता (स्टैंड एलोन) के आधार पर उनके तुलन पत्रों में सुस्पष्टता लेकर उन्हें पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, व्यापक पुनर्गठन हेतु वर्ष 1994-98 के दौरान 151 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को लिया गया था। मार्च 1998 तक सरकार द्वारा कुल 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 151 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 774 करोड़ रुपए (लगभग) की ईक्विटी सहायता प्रदान की गई है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूजीकरण की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए चालू वर्ष के दौरान 265 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है।

(घ) कई पहलू हैं जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऋण जमा अनुपात को निर्धारित करते हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंक की जमाराशि का स्तर तथा और जमाराशि जुटाने की संभावना, क्षेत्र की ऋण खपत क्षमता, जिले में औद्योगिक क्रियाकलापों और ऋण संवितरण बढ़ाने की संभावना, ऋण वसूली की दर और निधियों के पुनर्निवेश की मात्रा शामिल है। इसके अतिरिक्त, कुछ राज्यों में कम ऋण जमा अनुपातके कारणों का अध्ययन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार आदि में ऋण जमा अनुपात समितियों की नियुक्ति भी की है। इन समितियों ने अपनी रिपोटें दे दी हैं और उचित उपचारी उपायों के लिए सम्बन्धित राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों में उस पर विचार-विमर्श किया गया है। क्षेत्रीय ग्रमीण बैंकों के ऋण जमा अनुपात को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि ये संस्थाएं सतत् रुप से अर्थक्षम हों। चुने हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुवर्पूजीकरण सहायता प्रदान करने के अलावा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए बैंक विशेष विकास कार्य योजनाएं (डीएपी) तैयार की गई हैं। इसके अतिरिक्त, अय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण मानदण्डों को वर्ष 1995-96 से लागू किया गया है और प्रावधान करने सम्बन्धी मानजण्डों को 1996-97 से लागू किया गया है। शाखा नेटवर्क के युक्तियुक्तकरण के मामले में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अधिकाधिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रबंधन में प्रायोजक बैंको की भूमिका को भी बढ़ाया गया है। आशा की जाती है कि इन कदमों से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वित्तीय रूप से अर्थक्षम बनेंगे और विकेन्द्रित ग्रामीण बैंकिंग के प्रभावी तंत्र के रूप में उभरेंगे।

Provisions of Section 80-IA of Income-Tax Act. 1961

3739. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the details of the provisions of Section 80-IA of the Income Tax Act, 1961;